

पत्रांक :-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 148/बजट/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08/10/2025 /

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत नाला विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 84,50,900/- (चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 141/बजट दिनांक 06.10.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत नाला विधानसभाक्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु रू0 15,76,99,600/- (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 84,50,900/- (चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-2202, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान मद में आवंटित राशि से किया जायेगा। (विपत्र कोड-21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104)।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 141/बजट दिनांक 06.10.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

Sais
07.10.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 148/बजट /रॉची, दिनांक- 08/10/2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sais
07.10.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो.1-25/2016 (उ0शि0)(अंश) 148/बजट /रॉची, दिनांक- 08/10/2025

प्रतिलिपि - विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ उप निदेशक, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sais
07.10.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

S



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/YO1-25/2016P/148/BUDGET

दिनांक - 08-Oct-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BP010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BP - उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान 01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान State Scheme State Scheme : GRANT-IN-AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, MODERNIZATION AND FURNISHING OF Central Scheme : HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS(2104)	64302	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	8,450,900.00 रुपये चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ

योग:

रुपये चौरासी लाख पचास हजार नौ सौ

Sudhir Bara

8,450,900.00

क्रमिक योग:

(SUDHIR BARA)

DIRECTOR